संपादकीय जागरण

बुधवार, 17 जनवरी, 2018 : माघ कृष्ण अमावस्या वि. 2074

प्रेम व्यक्ति को पवित्र बना देता है

हज सब्सिडी का खात्मा

हज पर दी जाने वाली वाली सब्सिडी खत्म होनी ही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में ही इसे दस सालों में चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के आदेश दिए थे। इस आदेश का एक बड़ा आधार यह इस्लामी मान्यता बनी थी कि हज तो अपने पैसे से ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक पंथनिरपेक्ष देश में हज के लिए सब्सिडी का कोई औचित्य नहीं बनता था। अगर केंद्र सरकार ने तय अवधि से चार साल पहले ही हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया तो इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज के शैक्षिक उत्थान के लिए जो पैसा 2022 से खर्च होना शुरू होता वह इसी साल से खर्च होने लगेगा। हज सब्सिडी के तौर पर सालाना करीब सात सौ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह एक बड़ी धनराशि है। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि अब यह धनराशि मुस्लिम समाज को शैक्षिक रूप से सशक्त करने में खर्च होगी। मुस्लिम समाज को न केवल इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, बल्कि इस पर गौर भी करना चाहिए कि उनके बच्चों को आधुनिक शिक्षा की कहीं अधिक जरूरत है। आज यदि मुस्लिम समाज पिछड़ेपन से ग्रस्त है तो इसका एक बड़ा कारण उसका सही तरह से शिक्षित न होना है। हज सब्सिडी खत्म कर और इस सब्सिडी को मुस्लिम समाज की शिक्षा-दीक्षा में खर्च करने का फैसला एक तरह से इस समाज को मुख्यधारा में लाने वाला ठोस कदम है। यह अच्छा हुआ कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह स्पष्ट करने में देर नहीं की कि हज सब्सिडी के तौर पर दी जाने वाली राशि का उपयोग मुख्यतः मुस्लिम समाज की लड़कियों को शिक्षित करने में किया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के बावजूद यदि इसी वर्ष से हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर कुछ नेता और धर्मगुरु यह प्रचारित करें तो हैरत नहीं कि मोदी सरकार से यही अपेक्षित था, क्योंकि उसे अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं।

मुस्लिम समाज को हर तरह के दुष्प्रचार की अनदेखी करते हुए यह देखना चाहिए कि हज सब्सिडी के तौर पर दी जाने वाली राशि उनके बच्चों के शैक्षिक उत्थान में बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल हो? चूंकि हज सब्सिडी का खात्मा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी गुंजाइश खत्म करने वाला है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी समावेशी राजनीति करना सीखेंगे। हज के लिए सब्सिडी का कोई औचित्य नहीं बनता। हज यात्रियों को ऐसी कोई सुविधा इस्लामी देशों में भी नहीं दी जाती, लेकिन भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा किया जाने लगा। समझना कठिन है कि जब इस्लामी रीति-रिवाजों में हज के लिए सब्सिडी की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं तब भी भारत में उसका चलन क्यों शुरू किया गया? सवाल यह भी है कि इस पर तथाकथित सेक्युलर तत्वों ने कहीं कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई? निःसंदेह हज सब्सिडी खत्म करने का यह मतलब नहीं कि हज यात्रियों को सुविधाएं देने अथवा उन्हें सस्ती यात्रा के विकल्प मुहैया कराने से मुंह मोड़ा जाए। बेहतर होगा कि इसी वर्ष से पानी के जहाज से हज यात्रा सुनिश्चित की जाए।

बढ़ती संवेदनहीनता

बरेली के एक जाने-माने नर्सिंग होम में गत दिवस आग लगने से दो महिला मरीजों की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारी फरार हो गए और तीमारदारों ने बमुश्किल एक को बचाया। फिलहाल, सीएमओ ने आइसीयू सीज कर दिया है और अस्पताल के द्वितीय तल को सीज करने की संस्तुति कर दी है। शासन ने घटना की रिपोर्ट तलब की है। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश हो गए हैं। पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मतलब यह है कि घटना के बाद शासन और प्रशासन के स्तर पर जो कुछ भी हो सकता है, किया जा रहा है।

> अस्पताल के प्रबंधन और स्टाफ की लापरवाही के कारण तमाम ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है

बताया जा रहा है कि आइसीयू में रात में दो अटेंडेंट थे। तड़के चार बजे आइसीयू में रूम हीटर से अचानक आग लग गई। धुएं के कारण दम घुटने से दोनों मरीजों की मौत हुई। बिजली की सप्लाई काट देने से अस्पताल में अंधेरा छा गया और भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि इस भगदड़ में कोई अनहोनी नहीं हुई। सवाल है कि स्टाफ आखिर मौके से क्यों भागे? क्यों स्टाफ इतने दक्ष नहीं थे कि वे ऐसी परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक निपट सकें? मुश्किल यही है कि जिस स्थान पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत समझी जाती है, वहीं इसका अभाव दिखता है। मौजूदा दौर में सरकारी अस्पताल पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं तो निजी अस्पताल केवल पैसा कमाने की मशीन बन कर रह गए हैं। इसीलिए अस्पताल के प्रबंधन और स्टाफ की लापरवाही के कारण तमाम ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या इजरायल से मित्रता बढ़ाकर भारत चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से पार पा सकता है?

आज का सवाल

क्या केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी को खत्म कर सही किया है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जहर घोलता लव जिहाद का जुमला

तुफैल अहमद

अगर भारत के सामाजिक ताने-बाने को सहेजकर रखना है तो फिर लव जिहाद सरीखी गलत अभिव्यक्ति से बचना होगा

लव जिहाद का जुमला हमारे राष्ट्रीय विमर्श में तेजी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। इसका कारण तथाकथित लव जिहाद को लेकर रह-रह कर होने वाली घटनाएं हैं। ताजा घटना मेरठ में घटी जहां लव जिहाद का आरोप लगाकर एक युवक की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई हुई। इसके पहले दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेले में लव जिहाद को बयान करने वाली एक पुस्तक 'एक मुखौटा ऐसा भी' बिकने के लिए आई। इस पुस्तक में लव जिहाद को बयान करने वाली कथित सच्ची कहानियां हैं। हाल के समय में पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम मजदूर मोहम्मद अफरजुल की राजस्थान में हुई खौफनाक हत्या ने 'लव जिहाद' को व्यापक स्तर पर चर्चा में लाने का काम किया। राजस्थान के राजसमंद जिले में शंभूलाल रैगर ने न केवल अफरजुल की हत्या की, बल्कि उसके शरीर को आग की भेंट भी चढ़ा दिया, क्योंकि उसकी नजर में अफरजुल 'लव जिहाद' में लगा था। केरल की लड़की हदिया के मामले को भी लव जिहाद की मिसाल बताया जाता है जहां उसे मुस्लिम युवक से शादी के लिए धर्मांतरण करना पड़ा। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब तमाम गैर-मुस्लिम परिवार लव जिहाद को लेकर चिंतित हुए जा रहे हैं। वैसे लव जिहाद शब्द का ईजाद केरल की धरती पर हुआ है। पहली बार इसका इस्तेमाल भी ईसाई समूहों ने किया था जो मुस्लिम युवाओं से शादी करने के लिए इच्छुक ईसाई युवतियों के बढ़ते मामलों से चिंतित थे। हाल के दौर में भाजपा-आरएसएस के कुछ नेताओं और हिंदू समूह चुनाव के समय हिंदू मतों को लामबंद करने के लिए लव जिहाद को सियासी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे में यहां कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं कि क्या लव जिहाद वास्तव में सही अभिव्यक्ति है? क्या यह भारतीय समाज का तानाबाना बिगाड़ सकता है?

जिहाद के दो प्रकार हैं। गैर-मुस्लिमों के खिलाफ धर्मयुद्ध को भी मुसलमान जिहाद के रूप में लेते हैं। कुछ इस्लामिक विद्वानों ने कहा कि इस्लामिक सरकार ही जिहाद को मंजूरी दे सकती है। उनकी दलील है कि अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे संगठनों द्वारा किया जाने वाला तथाकथित जिहाद, जिहाद नहीं आतंकवाद है। वहीं दूसरे संदर्भ में जिहाद का अर्थ कुछ मुसलमान उस प्रक्रिया के रूप में भी लेते हैं जब कोई व्यक्ति भ्रष्ट और बुरी शक्ति के प्रभाव से अपनी रूह को पाक करने के लिए निजी स्तर पर संघर्ष करता है। जिहाद के ये दोनों अर्थ मान्य हैं, लेकिन मुसलमान मुख्य रूप से सैन्य संघर्ष को ही जिहाद मानते आए हैं।

23 जून, 2016 को पटना के एक उर्दू अखबार ने अपने संपादकीय में बद्र की लड़ाई का प्रशस्तिगान किया। यह हजरत मोहम्मद साहब की अगुआई में पहली इस्लामिक लड़ाई थी। संपादकीय में लिखा गया कि 'यह इस्लाम और कुफ्र के बीच पहली लड़ाई थी जिसमें 313 चुनिंदा मुस्लिम लड़ाकों की टुकड़ी ने बद्र के मैदान में एक बड़ी सेना को धूल चटा दी थी।' ऐसे में अगर जिहाद केवल सैन्य लड़ाई है तो फिर लव जिहाद क्या है? ऐसे में यही कहा जा सकता है कि 'लव जिहाद' वास्तव में एक गलत अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह जिहाद की ऊपर बताई गई दोनों परिभाषाओं के खांचे में कहीं नहीं बैठती। लिहाजा इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है, लेकिन भारत समेत दूसरे कई देशों में फिर भी इसका प्रयोग धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इसका मजमून कुछ यही है कि हिंदू या ईसाई तबके की लड़कियों को मुस्लिम युवा से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाना होगा।

अवधेश राजपूत

यानी मुस्लिम पुरुष से शादी करने के लिए गैर-मुस्लिम लड़कियों के इस्लाम में धर्मांतरण को ही लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। हिंदू और ईसाई पुरुष इस चलन का हिस्सा नहीं हैं, जबकि ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करने के लिए गैर-मुस्लिम पुरुष को भी इस्लाम अपनाना पड़ा। इसका यह भी अर्थ है कि दूसरे धर्म के लोगों से विवाह करने के लिए मुस्लिम उनका धर्म नहीं अपनाते। यानी यह इकहरा रास्ता है जिसकी राह केवल इस्लाम में धर्मांतरण के रूप में खुलती है। विवाह के लिए मुस्लिम धर्म अपनाने की इस इकहरी राह को अब लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। असल में किसी मुस्लिम से विवाह करने के लिए इस्लाम अपनाना जरूरी दस्तूर बन गया है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं विशेषकर उन मामलों में जहां युगल साम्यवादी विचारों को मानने वाले, नास्तिक या असल मायनों में सेक्युलर हों जो शादी के लिए धर्मांतरण नहीं करते। धर्मांतरण की इस एकतरफा राह को इस्लामिक धर्मगुरुओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसा केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी हो रहा है। ऐसे में ये मौलवी ही हैं जो मुसलमानों के खिलाफ उबलती भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

मैं मुस्लिम युवाओं से यही कहूंगा कि अगर वे गैर-मुस्लिम लड़कियों से वास्तव में प्रेम करते हैं तो उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए बाध्य न करें। यदि आप गैर-मुस्लिम लड़की को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करते हैं तो फिर यह प्रेम नहीं है। इस तरह आप प्रेमी से अधिक मौलवी ही हैं जो गैर-मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के अभियान पर निकला है। ऐसे में मुसलमानों के प्रति बढ़ती हिकारत के लिए मौलवियों के साथ आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। विवाह के लिए हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने से कोई एतराज नहीं होता, अगर मुसलमान भी शादी के लिए हिंदू धर्म अपना रहे होते। मैं सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचें। दूसरी जाति और धर्म के लोगों से प्रेम तो करो, लेकिन उसके लिए अपना धर्म न बदलें। प्रेम एक अनूठी और पवित्र अनुभूति है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो एक इंसान के तौर पर यह हमारा दर्जा बढ़ा देता है। यह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यदि आप विवाह के लिए इस्लाम या किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो यह प्रेम नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मा को उस धर्म का दास बनाने जैसा है। हिंदू और ईसाई लड़कियों से गुजारिश है कि वे ऐसे प्रेमजाल में न फंसे जहां विवाह के लिए इस्लाम को अपनाना अनिवार्य हो।

भारत में तमाम लोग गरीब हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान की उचित व्यवस्था नहीं है। साफ पेयजल तक मयस्सर नहीं है। यदि हम उन्हें वास्तव में गरीबी की जद से बाहर निकालना चाहते हैं तो भारत के सामाजिक तानेबाने को सहेजकर रखना होगा। शंभूलाल रैगर जैसे हत्यारों का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग भारत के लिए खतरा हैं। भारतीय गणतंत्र के कुछ मूल्य ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कानून हाथ में लेने वाले या दूसरे समुदाय के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने वाले शख्स को निश्चित रूप से सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। समाज को भी ऐसे तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए।

(लेखक वाशिंगटन स्थित मिडिल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं)

response@jagran.com

कलह पैदा करने वाली प्रेस कांफ्रेंस

विजय कुमार चौधरी

चारों न्यायाधीशों को अहसास होना चाहिए था कि जनता के बीच जाने से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता

देश उन स्थितियों से दो-चार है जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जाती थी। सबसे बड़ी अदालत यानी उच्चतम न्यायालय पर उसी के कुछ सदस्यों ने उंगली उठा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों चेलमेश्वर, मदन लोकुर, रंजन गोगोई और कुरियन जोसेफ की ओर से मीडिया के सामने आकर मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े करने के अप्रत्याशित घटनाक्रम ने देश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायपालिका की कार्यशैली पर इस तरह का प्रश्नचिन्ह पहली बार लगा है। चार न्यायाधीशों की ओर से उठाए गए मुद्दों में सबसे प्रमुख मुद्दा रोस्टर के फैसले के अधिकार से जुड़ा है। किस मामले को कौन सी पीठ देखेगी, यह फैसला लेने का विशेषाधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। इसी कारण वह मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया है कि संवेदनशील और अहम मामलों को कथित तौर पर पसंदीदा बेंच में भेजा जाता है और इसमें वरीयता के साथ-साथ रोस्टर की स्थापित परंपरा की भी उपेक्षा की जाती है। चार न्यायाधीशों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश बराबर का दर्जा रखते हैं- न कम न ज्यादा और वह सभी बराबर न्यायाधीशों में केवल पहले नंबर पर आते हैं।

अपनी प्रेस कांफ्रेंस में एक मामले (लूथरा) का उल्लेख करते हुए इन चारों न्यायाधीशों ने यह रेखांकित किया था कि ज्यादा विवरण इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे उच्चतम न्यायालय को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह यह मसला उठाया गया और जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया वह जनमानस को चिंतित करने वाली है। विचारणीय प्रश्न यह है कि चार न्यायाधीशों ने जिस तरह इस मामले को मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखा, क्या उसे आदर्श तरीका कहा जा सकता है? क्या दूसरा उचित तरीका उनके पास नहीं था और अगर उन्होंने जनता की अदालत में आने का फैसला कर ही लिया था तो फिर सारे सुबूत सामने क्यों नहीं रखे और सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं किया? एक सवाल यह भी है कि क्या जनता अथवा दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से न्यायाधीशों की समस्याओं का समाधान हो सकता है? चार न्यायाधीश जिस तरह जनता के सामने आए वह उच्चतर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कठघरे में खड़ा करने वाला रहा। उन्होंने यह आरोप तो लगाया कि कुछ अहम मसले कथित तौर पर मनपसंद बेंच भेजे जा रहे थे, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि इन्हीं मामलों की सुनवाई करने में उनकी दिलचस्पी क्यों थी? यह आश्चर्यजनक है कि एक ही दिन पहले कोलेजियम की बैठक में दो जजों की नियुक्ति का फैसला होता है और अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है। किसी मतभेद अथवा असहमति की स्थिति में सरकार या फिर राष्ट्रपति के माध्यम से समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाता या फिर अन्य उपलब्ध विकल्पों का सहारा लिया जाता तो शायद जो अप्रिय स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था।

चार न्यायाधीशों ने प्रत्यक्ष तौर पर भले ही मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली पर सवाल उठाए हों, लेकिन परोक्ष तौर पर उन्होंने उन 20 न्यायाधीशों पर भी सवाल खड़ा कर दिया जो प्रेस कांफ्रेंस वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपना काम निपटा रहे थे। इन चारों न्यायाधीशों को यह शुरू से पता होना चाहिए था कि वाया प्रेस कांफ्रेंस उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि उलटे कुछ और सवाल उठ खड़े हो सकते हैं और उनसे सुप्रीम कोर्ट की साख को चोट पहुंच सकती है। क्या चारों न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली से इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा एवं विश्वसनीयता की कीमत पर भी अपनी समस्या सार्वजनिक करना मुनासिब समझा? निःसंदेह उच्चतम न्यायालय जैसी गरिमापूर्ण संस्था का प्रधान होने के नाते मुख्य न्यायाधीश से अपने सहयोगियों एवं विशेष रूप से वरिष्ठतम न्यायाधीशों को विश्वास में लेकर चलने की अपेक्षा की जाती है। चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की ओर से मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाने से यही प्रकट हो रहा है कि वह प्रधान न्यायाधीश की अपनी भूमिका का सही तरह निर्वाह करने में सफल नहीं रहे। चार न्यायाधीशों की चिट्ठी से यह भी लगता है कि पहले से ही अविश्वास का माहौल बना हुआ था। न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर इस तरह की स्थिति उचित नहीं। मुख्य न्यायाधीश की तरफ से पहल कर समस्या से उबरने का प्रयास होना चाहिए था। आखिर उन्होंने उसी समय कोई चर्चा क्यों नहीं की जब चार न्यायाधीश अपनी बात लेकर उनके पास गए थे?

सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका का एक अलग और अहम स्थान है। संविधान के संरक्षणकर्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय-समय पर उसने अपनी इस भूमिका को बखूबी निभाया है। कभी-कभी तो यह महसूस हुआ है कि अगर न्यायपालिका अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं करती तो संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा होती और भ्रष्टाचार के मामले तथा तमाम घोटाले दबे ही रह जाते। सरकार के दूसरे अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका की कार्यशैली में जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के सिद्धांत को लागू करने का काम उच्च न्यायपालिका द्वारा कारगर ढंग से निभाया गया है। उसने अनेक ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से भारतीय संविधान की आत्मा को बचाने का काम किया है, परंतु इसी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के सिद्धांत को न्यायपालिका खुद अपनी कार्यप्रणाली में प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट जैसी पारदर्शिता अन्य संस्थाओं में चाहता है वैसी पारदर्शिता से वह खुद क्यों लैस नहीं होता? सरकार के किसी भी अंग की कार्यशैली में पारदर्शिता उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। पारदर्शिता के अभाव में संदेह का वातावरण पैदा होता है। चूंकि न्यायपालिका को कोई निर्देशित नहीं कर सकता इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्व-नियामक की भूमिका निभाएगी। चार न्यायाधीशों की ओर से की गई पहल का पटाक्षेप चाहे जिस भी रूप में हो, यह निर्विवाद है कि भारतीय न्यायप्रणाली के इतिहास में इसे एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। आम लोगों के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि क्या उच्चतम न्यायालय अपनी साख बचा पाने में सफल होगा? अभी तक भारतीय जनमानस उच्चतम न्यायालय के फैसलों और निर्देशों को अंतिम सत्य के रूप में देखता और मानता आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो विवाद उभरा वह चरम बिंदु होगा, न कि किसी बड़े विवाद की शुरुआत।

(लेखक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कल्पना शक्ति

कल्पना एक शक्ति है और इसका उपयोग करना आना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग एक कला है। इस कला में पारंगत कल्पना शक्ति का अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं। कल्पना निरभ्र गगन में उन्मुक्त होकर रोचक-रोमांचक उड़ान भरती है। मन और देह की सीमाओं में आबद्ध नहीं होती। यह मन के सरोवर में तरंगों के समान उठती है और इन तरंगों की लपटें अनंत अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाती हैं। कल्पना जीवन को बहुविध रंगों से उकेरती है। कल्पना एक शक्ति है, क्षमता है। जब यह ठहरती है तो जीवन नीरस हो जाता है और यह बहती है, तो जीवन में नई कोंपलें फूटती हैं। यह जिधर भी बहे, वहीं सुरम्य तरंगों और सरसता का आलोक बिखेर देती है। यह भौतिक क्षमता को पंख देने का कार्य करती है। सुखद कल्पना शीतल छांव के समान है और दुखद कल्पना अंगारों की जलन पैदा करती है। कल्पनाओं की बनावट और बुनावट अत्यंत मार्मिक है। साहित्य की ऐसी तमाम कृतियां हैं, जिनमें विचारों के साथ कल्पनाशीलता का सटीक सामंजस्य होता है और वे सभी सुखद अहसासों से ओत-प्रोत होती हैं। कल्पना जब परिष्कृत बुद्धि के साथ उड़ान भरती है तो जीवन के व्यापक अस्तित्व को स्पर्श करती है। इसी से साधनाओं के तमाम रहस्य अनावृत होते हैं।

कल्पना से कुछ भी संभव है। यह हमारी मौलिक प्रतिभा का विकास करती है। कल्पना में अपार ऊर्जा की खपत होती है। सृजनशील कल्पना से ऊर्जा के इस अनंत भडार को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है और जीवन के कई अनछुए पहलुओं को जाग्रत किया जा सकता है। फिर भी सामान्यतः इसका घोर दुरुपयोग किया जाता है। इच्छाओं और वासनाओं से आक्रांत मन सदैव कुकल्पनाओं का आदी हो जाता है। ध्यान से अनगढ़ कल्पनाओं को संवारा जाता है। कुकल्पनाओं से बचने के लिए हमें मनोनुकूल किसी विशिष्ट कार्य में कल्पना की ऊर्जा को उड़ेलना चाहिए। जैसे-जैसे कल्पना प्रगाढ़ होने लगेगी, इच्छित वस्तु मन में साकार होने लगेगी। यह प्रक्रिया अपनी प्रगाढ़ता में ध्यान के रूप में परिवर्तित होने लगेगी और इसमें मन आनंदित होने लगेगा। कुकल्पनाओं की खरपतवार अपने आप समाप्त हो जाएगी और कल्पना अपनी रोमांचक यात्रा पथ पर चल निकलेगी।

डॉ. सुरचना त्रिवेदी

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की दरकार

आमजन से दूर होती स्वास्थ्य व्यवस्था शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर बल दिया है। किसी भी देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? निःसंदेह भारत की स्थिति वर्तमान में बेहतर तो नहीं कही जा सकती है। इसके लिए एक तरफ जहां सरकारें जिम्मेदार हैं वहीं समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है। सरकारें विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति नहीं कर पा रही है और अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भेजने में नाकाम हो रही हैं। विद्यालयों में शिक्षकों और अस्पतालों में डॉक्टरों का उचित मात्रा में होना बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह एक सच्चाई है कि स्वास्थ्य सुविधा शहरों में तो बेहतर है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर यह अभी भी सपना है। राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि सरकारें ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का प्रयास करें ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज, उत्तर प्रदेश

कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत

वर्तमान समय में कांग्रेस अपने दौर के सबसे बुरे काल से गुजर रही है। जनता ने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया लेकिन कांग्रेस के नेता अपने नजरिए में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पर तरह-तरह की टिप्पणी की जाती हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद विपक्ष में बैठना जम नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को गले लगाया तो कांग्रेस ने विवादित वीडियो पोस्ट कर दिया। हालांकि कांग्रेस सत्ता पक्ष की घेरने के चक्कर में खुद ही गोल कर बैठ रही है। कांग्रेस के नेताओं को जानना चाहिए कि जब-जब भी व्यक्तिगत आरोप लगाते है, ऐसे में उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ा है। प्रधानमंत्री की योजनाओं में कमिया उजागर कर तर्कों के आधार घेरना चाहिए। अगर कोई नेता सीमा लांघता है तो राहुल कार्यवाही का साहस दिखाएं।

mkumar.sidhmukh@gmail.com

पुस्तकों से दूर युवा पीढ़ी

'जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं' और 'जो जागत है सो पावत है। लेखकों ने पुस्तकों में तो बड़ी साधना से बहुत कुछ ज्ञान गढ़ रखा है लेकिन उन्हें कोई लेने वाला चाहिए। ज्ञान ही शक्ति है यानी कि नालेज इज पावर, जो हमें अच्छी पुस्तकों, सत्संग और अनुभव से ही मिलती है। दुर्भाग्य से देश में गरीबी और शासन अभाव में आज भी शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। अधिकांश युवा शक्ति तो अपनी रोजी-रोटी की ही चिंता में ही बुरी तरह लिप्त हैं। जो शेष बचे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट की ऑनलाइन व्यवस्था ने पुस्तकों और समाचार पत्रों से भी जुदा कर दिया है। इस कदर युवाओं की पुस्तकों से बढ़ती दूरी गहन चिंता का विषय है।

vedmamurpur@gmail.com

खास है 2018 का गणतंत्र दिवस

इस बार गणतंत्र दिवस की धूम कुछ अलग ही होगी क्योंकि इस बार एक देश के नहीं, बल्कि 10 देश के बड़े बड़े लोग समारोह में शामिल होंगे। भारतवर्ष के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पहले इतने देशों के प्रतिनिधि कभी शामिल नहीं हुए। अगर देखा जाए तो इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी की विदेशों की यात्रा से भारत के विदेशी देशों के साथ रिश्ते पहले की तुलना में बहुत प्रगाढ़ हुए। इस समारोह के जरिए भारत अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने भी रखना चाहेगा।

aksinghal78@gmail.com

काबिल-ए-तारीफ कदम

सीमा पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने पाक के सात जवानों को मार गिराया। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी ही कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के पांच सैनिक मारे गए थे और भारतीय फौज ने उनकी कई चौकियां बर्बाद की थीं। ये भारतीय फौज की जैसे को तैसा कार्रवाई है। अत्यंत सहनशीलता एक हद तक तो उचित है, लेकिन 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते' वाली कहावत आखिर चरितार्थ हो ही गई। इस शानदार कार्रवाई के लिए भारतीय सेना और केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति बधाई के काबिल है। लेकिन, अब इसे बदस्तूर कायम रखने की जरूरत है और अब अधिक सावधान भी रहना होगा।

spgoel.jhm@gmail.com

मिशन कृषि क्रांति 2022

सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना को हम कृषि क्रांति का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि देश में 60 से 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि का जीडीपी में 16 से 17 प्रतिशत योगदान है। अगर कृषि से जुड़े लोगों की आय दोगुनी होती है तो कृषि का जीडीपी में हिस्सा 16 से बढ़कर 30 प्रतिशत से भी ऊपर जा सकता है। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने की योजना में इजरायल कृषि तकनीक हर किसान तक पहुंचाने की बात कही है। आने वाले बजट सत्र में मोदी सरकार ने भी किसानों के लिए विशेष प्रावधान करने के संकेत दे दिए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस प्रकार पूर्ण करती है।

rightshubham96@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

सरकार द्वारा हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला स्वागत योग्य है। यह कई वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। किसी निजी रस्म को पूरा करने के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं।
शुजात बुखारी@bukharishujaat

सेंचुरियन टेस्ट अभी भी खुला हुआ है। साथ ही मैच में यह भी नजर आता है कि अगर आपका नाम विराट कोहली या डीविलियर्स न हो तो यहां बल्लेबाजी कितनी मुश्किल है।
हर्षा भोगले@bhogleharsha

मैं प्रवीण तोगड़िया और उनकी राजनीति से जितनी असहमति रखती हूं उतना ही इस बात को लेकर चिंतित भी कि अगर जेड श्रेणी की सुरक्षा वाला व्यक्ति भी अपनी जान को खतरा महसूस करे तो इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है।
प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार देने के लिए किसी चैनल विशेष का चयन कर सकता है, लेकिन सामान्य प्रेस कांफ्रेंस से किसी रिपोर्टर को बाहर करने का फैसला पूरी तरह बेतुका है।
रामचंद्र गुहा@Ram_Guha

करणी सेना के तथाकथित शूरवीरों ने अब इंदौर के एक स्कूल में केजी क्लास के बच्चों को घूमर पर डांस करने के लिए निशाना बनाया है। बेहद ही शर्मनाक वाकया।
सोनिया सिंह@soniandtv

जनपथ

एनकाउंटर आपका! क्या मजाक है बॉस!!
बुरी बात यूं सोचकर क्यूं हैं आप निराश?
क्यूं हैं आप निराश रहेगा ना मन स्थिर,
तोगड़िया जी कौन बनाएगा तब मंदिर??
कहलाते हो शेर और मन में पाले डर,
भला करेगा कौन आपका एनकाउंटर।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 183